

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

सा.का.नि. 171.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में नर्सिंग अर्दली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : —

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग नर्सिंग अर्दली, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : — भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
नर्सिंग अर्दली	1* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 : रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) सेंट जान्स एम्बुलेंस एसोसिएशन जैसे किसी सरकारी सहबद्ध संगठन द्वारा जारी प्राथमिक उपचार या समतुल्य के बारे में परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र। (iii) सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या परिचर्या गृह में परिचर्या का एक वर्ष अनुभव रखता हो,

				<p>करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>	<p>वांछनीय : ऐसे किसी संगठन में दो वर्ष का अनुभव जहां सेवानिवृत्त या सेवारत ज्येष्ठ अधिकारियों के लिए ऐसा अतिथि गृह है जिसमें अतिथि भारी संख्या (औसतन 30 से अधिक) से शासकीय कार्य के लिए ठहरते हैं जैसाकि विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि के मामलों में होता है।</p> <p>टिप्पण-1 : अर्हताएं, अन्यथा अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण-2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि भागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- संयुक्त सचिव (प्रशासन), : अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग अवर सचिव (साधारण), : सदस्य संघ लोक सेवा आयोग अवर सचिव (प्रशासन), : सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	लागू नहीं होता

[फा. सं. 39021/06/2014-स्था. (बी)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)**

New Delhi, the 11th June, 2018

G.S.R. 171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Orderly in the Office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Nursing Orderly, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nursing Orderly.	1* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000 - 56900) in the pay matrix.	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government Servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) 10 th class pass or equivalent qualification from a recognised Board. (ii) Certificate of passing examination regarding first aid or equivalent issued by any Government affiliated organisation like St. John's Ambulance Association. (iii) Having one year experience of nursing in Government or private hospital or nursing home. Desirable: Two years working experience in an organisation where a guest house for retired or serving senior officers with large number of guests (more than 30 on an average) stay for official work as in the case of Universities, Indian Institute of Technologies, etc. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Other Backward Classes, Scheduled Castes or Scheduled Tribes if any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Secretary (Administration), - Chairman; Union Public Service Commission 2. Under Secretary (General), - Member; Union Public Service Commission 3. Under Secretary (Administration), - Member. Union Public Service Commission	Not applicable.

[F.No. 39021/06/2014-Estt.(B)]

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 जून, 2018

सा.का.नि. 172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तकनीकी अधिकारी [आई.एच.आर. सूचना पोर्टल (आई.टी. परामर्शदाता)] तकनीकी अधिकारी (योजना) और तकनीकी अधिकारी (वेक्टर नियंत्रण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तकनीकी अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम-2018 हैं
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- लागू होना :**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदों के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता**— वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;